नाम न्यायालय : – सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट : मेर मु0 जयपुर

फर्द अहकाम

सोनी देवी बनाम कानी देवी

केस संख्या : 60/19

केस संख्या			
	23/2/2021	पत्रावली पेश हुई। व० फ० उप०, प्रति स० 1 लगायत 13 बावजूद इत्तला अनुपस्थित, बार-२ आवाज लगाई जाने पर भी प्रतिवादी स० 1 लगा० 13 अनुपस्थित। इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रति० स० 14 के अधिवक्ता श्री हरीश शर्मा व वादी वकील आ० पेशी पर वास्ते बहस दिनांक 5/3/2021 को पेश हो। [signature] सहायक कलेक्टर आमेर मु. जयपुर	
	5/3/2021	पत्रावली पेश हुई। व० फ० उप०, वादी वकील प्रतिवादी 14 के वकील की बहस सुनी गई पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 15/3/2021 को पेश हो। [signature] सहायक कलेक्टर आमेर मु. जयपुर	
	15/3/2021	पत्रावली पेश हुई। व० फ० उप०। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली निर्णित शुमार दाखिल दफ्तर हो। [signature] सहायक कलेक्टर आमेर मु. जयपुर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2021.11.30 10:51:15 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय सहायक कलेक्टर आमेर मुख्यालय जयपुर।

बइजलास: अपर्णा शर्मा आर.ए.एस

प्रार्थना–पत्र संख्या 60/2019 प्रस्तुति दिनांक : 13.08.2019

1. सोनी देवी पत्नि स्व. श्री बिरदीचन्द।
2. बाबूलाल।
3. मंगलचन्द। } पुत्रान स्व. श्री बिरदीचन्द
4. सरोज
5. सुशीला
6. गुलाबी } पुत्रीयां स्व. श्री बिरदीचन्द
7. कमला

समस्त जाति – बुनकर, निवासी– ग्राम राजावास, पंचायत समिति जालसू, जिला– जयपुर।

——प्रार्थीगण

बनाम

1. कानी देवी पत्नि चौथू।
2. गणेश पुत्र सुवा।
3. चुन्नीलाल पुत्र रामचन्द्र उर्फ चन्दा।
4. छगन पुत्र सुवा।
5. जगदीश पुत्र चौथू।
6. जितेन्द्र पुत्र चौथू।
7. देवी लाल पुत्र चौथू।
8. बबलू पुत्र चौथू।
9. महेन्द्र कुमार दत्तक पुत्र भैरूलाल।
10. रामकुंवार पुत्र रामचन्द्र उर्फ चन्दा।
11. विनोद पुत्र चौथू।
12. श्रवण लाल पुत्र रामचन्द्र उर्फ चन्दा।
13. सेडूराम पुत्र रामचन्द्र उर्फ चन्दा।
14. हनुमान पुत्र सुवा
समस्त जाति – बुनकर, निवासी – ग्राम राजावास, पंचायत समिति जालसू, जिल– जयपुर।
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील– आमेर जिला जयपुर।

——अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212

निर्णय दिनांक : 15.03.2021

उपस्थिति :–

1. श्री मुकेश यादव, अभिभाषक प्रार्थीगण की ओर से
2. श्री हरीश कुमार शर्मा, अभिभा[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2021.11.30 10:51:15 IST
Reason: SelfAttested

हस्तगत प्रार्थना पत्र ग्राम राजावा[illegible] खाता संख्या 130 नई 133 पुरानी जिसमें खसरा नम्बर [illegible] 0.08 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 714 रकबा 0.05 हैक्टेयर 0.17 हैक्टेयर, कुल खसरा [illegible] 2, कुल रकबा 0.59 हक्टैयर है,

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Scanned with CamScanner

भूमि भूमि के विषयगत प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित किया गया है कि प्रार्थीगण के पिता बिरदा उर्फ बिरदीचन्द पुत्र सुआ एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 14 की कब्जे–काश्त एवं खातेदारी की भूमि है जिस पर प्रार्थीगण के पिता उर्फ बिरदीचन्द पुत्र सुआ एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगातय 14 काबिज काश्त करते रहे है। प्रार्थीगण के पिता बिरदा उर्फ बिरदीचन्द का उक्त आराजी भूमि में अविभाजित हिस्सा, 1/10, अप्रार्थी का अविभाजित हिस्सा [illegible]60, अप्रार्थी संख्या 2 का अविभाजित हिस्सा 1/10, अप्रार्थी संख्या 3 का अविभाजित हिस्सा 1/10, अप्रार्थी संख्या 4 का अविभाजित हिस्सा 1/10, अप्रार्थी संख्या 5 का [illegible]जित हिस्सा 1/60, अप्रार्थी संख्या 6 का अविभाजित हिस्सा 1/60, अप्रार्थी संख्या 7 का अविभाजित हिस्सा 1/60, अप्रार्थी संख्या 8 का अविभाजित हिस्सा 1/60, अप्रार्थी संख्या 9 का अविभाजित हिस्सा 1/60, अप्रार्थी संख्या 10 का अविभाजित हिस्सा 1/60, अप्रार्थी संख्या 11 का अविभाजित हिस्सा 1/60, अप्रार्थी संख्या 12 का अविभाजित हिस्सा 1/60, अप्रार्थी संख्या 13 का अविभाजित हिस्सा 1/60, अप्रार्थी संख्या 14 का अविभाजित हिस्सा 1/60 निहित है। प्रार्थीगण के पित स्व. बिरदा उर्फ बिरदीचन्द पुत्र सुआ का अविभाजित 1/10 हक एवं हिस्सा निहित था। प्रार्थीगण के पिता का स्वर्गवास हो जाने के कारण प्रार्थीगण उक्त आराजी भूमि में अपने पिता के निहित हक एवं हिस्से के संयुक्त रूप से काबिज–काश्त चले आ रहे है। परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 ता 14 प्रार्थीगण को उनके हक एवं हिस्से की भूमि पृथक से नहीं दे रहे है और ना ही भूमि का तकासमा करके भूमि का विभाजन ही कर रहे है, जिसका अप्रार्थी विधिसम्मत हक एवं अधिकार हासिल नहीं है। अप्रार्थी उक्त आराजीयात को महरूम करने की गरज से सम्पत्ति को बिना बंटवारा किये ही सम्पत्ति के एक निश्चित भू–भाग को दीगर व्यक्ति को बैचान करने पर आमादा है, जिसका अप्रार्थीगण को कोई [illegible]धानिक अधिकार नहीं है। प्रार्थी को यह अधिकार हासिल है कि वह जरिए न्यायालय अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करावे कि विवादित भूमि का बिना बंटवारा किसी भी निश्चित हिस्से की भूमि का बैचान अथवा हस्तान्तरण ना तो स्वयें करें और ना ही अपने किसी एजेन्ट, सर्वेन्ट अथवा अन्य के माध्यम से करवाये तथा प्रार्थीगण के कब्जे–काश्त, उपयोग एवं उपभोग में किसी प्रकार की कोई मजाहमहत ना तो स्वयं पैदा करे और ना ही अपने किसी एजेन्ट, सर्वेन्ट के माध्यम से करवाये। अतः प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अन्य तथ्यात्मक एवं विधिक बिन्दु समावेशित कर प्रार्थना पत्र में अंकित अनुतोष न्यायालय से चाहित किए गए हैं।

उपरोक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हो[illegible] किया गया एवं अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थी [illegible] 14 को ज[illegible] प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने हेतु अनेक अवसर दिये गये। अप्रार्थी संख्या 14 जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करना नहीं चाहते है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र का अवसार बन्द किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 13 को नोटिस

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2021.11.30 10:51:15 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

तामील होने के बावजूद अनुपस्थित रहे। अतः अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 13 की एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई।

प्रार्थीगण अधिवक्ता व अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 14 की बहस सुनी गई जिन्होनें मुख्य रूप से उन्ही तथ्यों का उल्लेख व वर्णन किया जो प्रार्थना पत्र में अंकित किए गए है। हमने विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का बगौर अवलोकन किया।

प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार नहीं है अतः प्रथम दृष्टया केस प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं है साथ ही अप्रार्थीगण को जो कि रिकार्डेड खातेदार हैं को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने से सुविधा का संतुलन एवं अपूर्तनीय क्षति के तथ्य भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं है।

आदेश

उपरोक्त विवेचन के मद्देनजर प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन तथा अपूर्तनीय क्षति तीनों तथ्य प्रार्थीगण पक्ष में साबित नहीं होने से प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है तथा इस न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 13.08.2019 को निरस्त किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 15.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखाया गया। पत्रावली निर्णित शुमार की जाकर संलग्न मूल वाद हो।

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2021.11.30 10:51:15 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner